

दिल्ली विश्वविद्यालय

परिवार के सदस्यों की घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ:

1. मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्य मेरे साथ रहते हैं और मुझ पर पूर्णतः निर्भर हैं:

अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए

क्र. सं.	नाम	आयु	संबंध	जन्म की तारीख	क्र. सं.	नाम	आयु	संबंध	टिप्पणी

टिप्पणी:

1. आय का स्वतंत्र स्रोत रखने वाले पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता, सरकारी संस्था के सदस्य के रूप में अपना संबंध नहीं रखते हैं। सिवाय इसके कि जब पेंशन, पेंशन में अस्थायी वृद्धि, लेकिन पेंशन या वजीफा आदि पर महंगाई राहत को छोड़कर आय रु. 3500/- प्रति माह से अधिक न हो।
2. मेरे पति/पत्नी/सेवा में नहीं हैं, यदि सेवा में हैं, तो नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह यहां से एलटीसी/एचटीसी की सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे।
3. यह कि मेरे पिता/माता सेवानिवृत्त पेंशनभोगी नहीं हैं और उनके द्वारा आहरित पेंशन की राशि संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गई रु.3500/- है।
4. यदि घोषित परिवार के सदस्यों की सूची में कोई भी बदलाव होगा तो , रिकॉर्ड के लिए विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा।
5. मैंने 'परिवार' की परिभाषा के संबंध में पत्र की सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

कर्मचारी के हस्ताक्षर:

(बड़े अक्षर में नाम)

पद का नाम :

शाखा: